भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5598

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन

5598. श्री ए. राजा :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) लोक सभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है ;
(ख) क्या इस विधेयक के लिए राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) महिला आरक्षण के प्रयोजनार्थ लोक सभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को कब तक पुनः निर्धारित और अधिसूचित किए जाने की संभावना है ; और
(घ) क्या आगामी लोक सभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क), (ग) और (घ) : संविधान का अनुच्छेद 334क, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के उपबंध, संविधान के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे । इसी तरह के संशोधन संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में भी शामिल किए गए हैं ।
(ख) : संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है ।

****